राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 11786/2022

कुलदीप पुत्र वाल जी, उम्र करीब 20 वर्ष, निवासी सल्लाडा, पुलिस थाना सरदा, जिला उदयपुर। (वर्तमान में सब जेल सलूंबर में बंद)

----अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से

----प्रतिवादी

अपीलार्थी(गण) के लिए	:	श्री प्रदीप शाह
प्रतिवादी(गण) के लिए	:	श्री अरुण कुमार, पीपी
		श्री सी.पी. मारवान के साथ

माननीय श्री न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रकाश सोनी

आदेश

रिपोर्ट करने योग्य

01/08/2024

1. दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में "संहिता") की धारा 439 के अंतर्गत दायर इस जमानत याचिका में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302/34 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के संबंध में पुलिस थाना सरदा, जिला उदयपुर की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 48/2022 के अनुसार पंजीकृत अपराध के संबंध में जमानत प्रदान करने की प्रार्थना की गई है।

2. संपूर्ण मामले को सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए मैं एक संक्षिप्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि प्रस्तुत करता हूं, जो यह है कि मनोहर सिंह ने अपने भाई चंदन सिंह की हत्या के बारे में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि 06.03.2022 को उसका भाई मोटरसाइकिल पर सल्लाड़ा गांव से घर लौट रहा था। कुलदेवी मंदिर के पास स्थित एक पुलिया के पास घात लगाए बैठे वीपी सिंह, दिलीप सिंह और उनके अन्य साथियों ने तलवारों, लाठियों और चाकुओं से चंदन सिंह पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और अंततः उसकी हत्या कर दी।

3. सबसे पहले याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वकील श्री प्रदीप शाह ने जोरदार दलील दी कि मुकदमे के दौरान 08 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं और उनमें से अधिकांश अपने बयान से पलट गए हैं। याचिकाकर्ता का नाम एफआईआर में नहीं है और न ही उसके खिलाफ कोई आरोप लगाया गया है। घटना का मुख्य आरोपी वीपी सिंह है।

4. यह भी तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता निर्दोष व्यक्ति है और उसके खिलाफ झूठा मामला बनाया गया है; पुलिस द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से झूठे और निराधार हैं; याचिकाकर्ता के कब्जे से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है; याचिकाकर्ता और कथित अपराध के बीच सीधा संबंध दिखाने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है, बल्कि अभियोजन पक्ष का मामला ठोस कानूनी सबूतों के बजाय अनुमानों और अटकलों पर आधारित है। उपरोक्त दलीलों के साथ, यह प्रार्थना की गई कि वर्तमान याचिका को अनुमति दी जाए और याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाए।

5. विद्वान सरकारी वकील ने इस आधार पर याचिकाकर्ता को इस स्तर पर जमानत पर रिहा करने का विरोध किया है कि यह एक सामान्य इरादे से की गई दिनदहाड़े हत्या का मामला है।

6. यह भी तर्क दिया गया कि अभिलेख पर बहुत सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं, जो प्रथम दृष्टया आवेदक के अपराध की ओर संकेत करते हैं; उसके द्वारा किए गए कथित अपराध की गंभीरता को देखते हुए, वह किसी भी तरह की नरमी का पात्र नहीं है, बल्कि उसके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। इसलिए, वह याचिकाकर्ता की जमानत याचिका को खारिज करने का हकदार है।

7. इस न्यायालय ने अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है और साथ ही पक्षों के विद्वान वकीलों द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर भी विचार किया है।

8. प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर गहन विचार करने और लागू कानून के संदर्भ में अभिलेख की जांच करने के बाद, मैं स्पष्ट रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह वर्षों पुरानी रंजिश के प्रतिशोध में की गई हत्या का मामला है। याचिकाकर्ता न केवल चंदन सिंह की हत्या की योजना में भागीदार था, बल्कि वह मुख्य आरोपी वीपी सिंह के साथ उसकी मोटरसाइकिल पर अपराध स्थल पर भी गया था। उसे अपराध किए जाने की जानकारी थी। वह घटनास्थल के पास भी मौजूद था और यह सुनिश्चित किया कि घटना सुचारू रूप से संपन्न हो, इसके लिए उसने आसपास की गतिविधियों पर नजर रखी। ऐसी स्थिति में यदि याचिकाकर्ता ने चंदन सिंह की हत्या में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया है, उस पर वास्तव में और शारीरिक रूप

से हमला नहीं किया है, तो उसकी भूमिका और अपराध की गंभीरता किसी भी तरह से कम नहीं होती है। याचिकाकर्ता की कथित भूमिका को देखते हुए, मुकदमे के दौरान दर्ज किए गए गवाहों के बयान याचिकाकर्ता को बचाने के लिए नहीं आते हैं।

9. सामान्य इरादे का प्रत्यक्ष साक्ष्य प्राप्त करना हमेशा कठिन होता है और इसका अस्तित्व, जो रचनात्मक दायित्व का एक आवश्यक घटक है, हमेशा आसपास के तथ्यों से निकाला जाना चाहिए, जो केवल तभी संभव है जब इस कारक के लिए परीक्षण के दौरान पर्याप्त मात्रा में साक्ष्य दर्ज किए गए हों।

10. आवेदक के संबंध में रिकॉर्ड पर रखी गई विशाल प्रथम दृष्टया सामग्री, याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों को देखते हुए, मेरा विचार है कि वर्तमान मामले में आरोप की प्रकृति और गंभीरता, याचिकाकर्ता को दी गई भूमिका और याचिकाकर्ता के खिलाफ स्थापित मामले को देखते हुए, याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किए जाने का हकदार नहीं पाया गया है।

11. परिणामस्वरूप, तत्काल जमानत याचिका विफल हो जाती है और खारिज किए जाने योग्य है। तदनुसार खारिज किया जाता है। आदेश में की गई टिप्पणियों का मामले की योग्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

12. इस आदेश की प्रति संबंधित ट्रायल कोर्ट को ईमेल की जाए।

(राजेंद्र प्रकाश सोनी),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।